(141)

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 158.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय उप महारजिस्ट्रार (मानचित्र) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2008 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पहले इस संबंध में की गई या लोप की जाने वाली कार्यवाही को छोड़कर, भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय में उप महारजिस्ट्रार (मानचित्र) के उक्त पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का नाम भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय, उप महारजिस्ट्रार (मानचित्र) समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2010 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—इस पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं, आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, शैक्षिक अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के बारे में, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे बैंड और ग्रेड पे	क्या चयन अथवा अचयन पद है	क्या सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
उप महारजिट्रार (मानचित्र)	1* (2010) *कार्यभार के अनुसार संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	पे बैंड पी.बी.-4 37,400-67,000 रु. ग्रेड पे 8700 रु.	लागू नहीं	लागू नहीं	50 वर्ष से अनधिक । (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदशों या आदेशों के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक शिथिलनीय) । टिप्पण : आयु सीमा के निर्धारण के लिए निर्णायक तारीख भारत में

142

				(7)	
				आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी । (असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर राज्य का लद्दाख डिविजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल और स्पीति जिला तथा चम्बा जिले का पांगी सब-डिविजन, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह अथवा लक्षद्वीप के आवेदकों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख को छोड़कर)।	
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं			क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी		परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)			(9)		(10)
अनिवार्य : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल में स्नातकोतर डिग्री । (ii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र में अनुप्रयुक्त मानचित्रकारी में पांच वर्ष के अनुभव सहित ड्राईंग, कम्प्यूटर मुद्रण और मानचित्र तैयार करने में बारह वर्ष का अनुभव । **वांछनीय :** (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भूगोल में डाक्टरेट की डिग्री । (ii) केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/मान्यताप्राप्त संस्थान/विश्वविद्यालय/सांविधिक, स्वायत अथवा अर्ध सरकारी संगठन में मानचित्रकारी में दो वर्ष के अनुसंधान का अनुभव । **टिप्पणी 1 :** आवेदक के अन्यथा सुअर्ह होने की दशा में कारणों को लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अर्हताओं में छूट दी जा सकती है । **टिप्पणी 2 :** यदि चयन के किसी स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन समुदायों के आवेदक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं तो कारणों को लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग विवेकानुसार ऐसे आवेदकों के मामले में अनुभव संबंधी अर्हता में छूट दे सकता है ।			लागू नहीं		सीधे भर्ती के लिए एक वर्ष

भर्ती की पद्धति क्या भर्ती सीधे या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा होगी और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
मिश्रित पद्धति प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) जमा प्रोन्नति जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	**मिश्रित पद्धति प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) जमा प्रोन्नति :** I : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान/विश्वविद्यालय/अर्ध सरकारी, सांविधिक या स्वायत संगठन के अंतर्गत ऐसे अधिकारी : (क) (i) जो अपने मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; अथवा (ii) जिन्होंने अपने मूल संवर्ग/विभाग में पे बैंड पीबी-3 15600-39100 रुपए ग्रेड पे 7600 रुपए सहित या समकक्ष में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो कालम (8) के तहत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों । **II.** बाह्य आवेदकों के साथ-साथ ग्रेड पे 7600 रुपए सहित पे बेंड पीबी-3 15600-39100 रुपए में ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा वाले उप महारजिस्ट्रार (मानचित्र) भी नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र होंगे । यदि ऐसे व्यक्तियों का पद पर नियुक्ति के लिए चयन हो जाता है तो इसे प्रोन्नति द्वारा भरा हुआ माना जाएगा । **टिप्पणी 1 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना करने के लिए 1-1-2006 वह तारीख जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे का विस्तार किया गया है, से पूर्व अधिकारी द्वारा की गई नियमित आधार पर सेवा को वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर विस्तारित तदनुरूपी ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा । **टिप्पणी 2 :** प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति के लिए 1-1-2006 से पूर्व अधिकारी द्वारा नियुक्ति आधार पर की गई सेवा अथवा वह तारीख जिससे छठे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर संशोधित वेतन ढांचे का विस्तार किया गया है, को वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर विस्तारित तदनुरूपी ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा माना जाएगा । इसमें एक समान ग्रेड पे या वेतनमान में एक से अधिक संशोधन से पूर्व के वेतनमान का विलय शामिल नहीं है और यह लाभ केवल उन्हीं पदों पर मिलेगा जहां किसी उन्नयन के बगैर ग्रेड पे/वेतनमान को सामान्यत: प्रतिस्थापित किया गया है । (फीडर वर्ग में विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधे क्रम में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे । केन्द्रीय सरकार के उसी या अन्य संगठन या विभाग मे इस नियुक्ति से तुरंत पहले धारित किसी अन्य संवर्ग-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सामान्यत: तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करते समय कि परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार के लिए) : 1. भारत के महारजिस्ट्रार —अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय —सदस्य 3. भारत के अपर महारजिस्ट्रार या भारत के संयुक्त महारजिस्ट्रार —सदस्य	पद को भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।

[फा. सं. ए-16011/4/2004-प्रशा.-II/प्रशा.V]

बी. बी. मुखर्जी, अवर सचिव

New Delhi, the 15th September, 2010

G.S.R. 158.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Office of the Registrar General, India, Deputy Registrar General (Map) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2008, except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Registrar General (Map) in the Office of the Registrar General, India, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Office of the Registrar General, India, Deputy Registrar General (Map) Group 'A' Post Recruitment Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, educational qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, educational qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-servicemen the Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	No. of post	Classification	Pay Band, and Grade Pay	Whether Selection or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Deputy Registrar General (Map)	1 *(2010) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band PB-4, Rs. 37,400–67,000, Grade Pay Rs. 8700	Not applicable	Not applicable	Not exceeding 50 years. (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or order issued by the Central Government from time to time). **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunanchal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island or Lakshadweep).

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(8)	(9)	(10)
Essential : (i) Master's Degree in Geography from a recognised University. ((ii) Twelve years' experience in drawing, computer printing and production of maps including five years' experience in applied cartography from Central Government/State Governments/ Union Territories. **Desirable:** (i) Doctorate Degree in Geography from a recognised University.	Not applicable	One year for direct recruits

146)

(8)	
(ii) Two years' research experience in cartography from Central Government/State Governments/ Union Territories/Public Sector Undertakings/Recognised Research Institutions/Universities/Statutory, Autonomous or Semi-Government Orgnisations. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates other wise well qualified. **Note 2:** The Qualification (s) regarding experience is/ are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserve for them.	

Method of recruitment : whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made
(11)	(12)
Composite method [deputation (including short-term contract) plus promotion] failing which by direct recuitments.	**Composite method [deputation (including short-term contract) plus promotion] :** I. Officers under the Central Government/State Governments/Union Territories/Public Sector Undertakings/Recognised Research Institutions/ Universities/Semi-Government or Statutory or Autonomous Organisations: (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) having five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in the Pay Band PB-3 Rs. 15,600–39,100 with Grade Pay of Rs.7,600 or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8 . II. The Departmental Assistant Registrar General (Map) in the Pay Band PB-3 Rs. 15,600-39-100 with Grade Pay of Rs. 7,600 having five years' regular services in the grade shall also be considered alongwith outsiders. In case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 1 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from which the revised pay structure based on the 6th Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission. **Note 2:** For purposes of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1-1-2006/the date from

(12)

	which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the Commission, except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay/pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay/pay scale is the normal replacement grade without any upgradation. (The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding 56 years as on the closing date of the receipt of applications.)

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be Consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation): 1. Registrar General, India —Chairman 2. Joint Secretary, Ministry of Home Affairs —Member 3. Additional Registrar General, India or Joint Registrar General, India —Member	Consultation with Union Public Service Commisson necessary for filling up of post.

[F. No. A-16011/4/2004-Ad. II/Ad.V]

B. B. MUKHERJEE, Under Secy.

शहरी विकास मंत्रालय

(संपदा निदेशालय)

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 759.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संपदा निदेशालय, संपदा उपनिदेशक (भर्ती) नियम, 1960 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (क) इन नियमों का नाम संपदा निदेशालय, संपदा उपनिदेशक (भर्ती) (संशोधन) नियम, 2010 है ।

(ख) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संपदा निदेशालय, संपदा उपनिदेशक (भर्ती) नियम, 1960 की अनुसूची में निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी ।

कॉलम-4- रु. 1100-50-1600 (पूर्व संशोधित रु. 3000-100-3500-125-4500) और (पूर्व संशोधित रु. 10,000-325-15,200) के स्थान पर पे बैंड-3 (रु. 15,600-39,100) + ग्रेड पे रु. 6,600.

[फा. सं. ए-12018/1/2010-प्रशा.-ख]

अशोक कुमार, संपदा उपनिदेशक (स्था.)